

फर्द अहकाम

बनाम _____


: _____ / 20 _____

दिनांक आजा
या कार्यवाही


आजा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण


मे पेश करे पत्रावली काते अहकाम
कुदेजात हेतु दिनांक 28.2.22 को
पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)


28/2/22 पत्रावली पेश इरे पक्षका वकील उपस्थित
है वकील पक्षका (अन ने कुदेजात रिपोर्ट
जो प्राप्त हो चुकी है अवलोकन पश्चात
पुनर्विचार कुदेजात डिक्री किये जाने की
प्रार्थना की है पत्रावली दिनांक 8/3/22
को पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

8/3/22 पत्रावली पेश इरे पक्षका वकील उप
है कुदेजात रिपोर्ट पर दोनों पक्षों की
व्यक्त हुई गई दोनों पक्ष कुदेजात
अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर
वेहमत है अतः वादी का दावा
किरक प्रतिवर्षीय स्वीकार किया जाने
पुनर्विचार कुदेजात डिक्री किये जाने
के आदेश किये जाते हैं निर्णय पृथक्
से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया जाया पत्रावली फिलहाल बुका होमा
नम्बर ले कर हो।


उपखण्ड अधिकारी

मुताबिक कुदेजात
अहकाम डिक्री किये
जाने के कोई आपत्ती
नहीं है


(निर्णय) जयपुर
वादी अधिकारी


प्रतिवर्षीय स्वीकार
मुताबिक कुदेजात रिपोर्ट
के आदेश डिक्री किये
जाए हैं जो कार्यवाही
आपातित नहीं है।